न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 21 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चोखाराम पुत्र दुर्गाराम
2. चुनाराम पुत्र दुर्गाराम
3. पूनमाराम पुत्र हिरकनराम
4. झीमों बेवा हिरकनराम
5. मेहाराम पुत्र सिमरथाराम
6. चनणी पत्नी मगाराम जाति सुथार निवासी खारी तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सवाईराम पुत्र रावताराम
2.काछबाराम पुत्र रावताराम
3.गजरों पत्नी रावताराम
4.मेहरी पुत्री खेता फौत के कायम मुकामः– 4 / 1हनुमान पुत्र मेहरी
4 / 2बाबूलाल पुत्र मेहरी
4 / 3जयकिशन पुत्र मेहरी
5.सांवलाराम पुत्र खेताराम
6.भंवराराम पुत्र फूसाराम
7.बाबू पुत्र फूसाराम
8.लाखाराम पुत्र फूसाराम
9.जगदीश पुत्र फूसाराम
10.चम्पा पत्नी फूसाराम जाति सुथार निवासी खारी तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर।
11.तहसीलदार धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 16 / 2016 बअनवान सवाईराम वगैरा बनाम चोखाराम वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राजेन्द्र शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भाखराराम गोदारा रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 17.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण स्वयं के खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार के खेत मौजा खारी पटवार क्षेत्र खारी तहसील धोरीमन्ना में खेत खसरा संख्या 388 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 572 / 389 रकबा 90.11 बीघा कुल रकबा 91.09 बीघा का आया हुआ है। प्रतिवादीगण ने अपने राजनैतिक प्रभाव एवं धनबल के आधार पर रेस्पोडेंट / वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 572 / 389 में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि में से रकबा 08.05 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है जो रकबा 08.05 बीघा जमीन न तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के खातेदारी की है एवं न ही कब्जा काश्त की है। प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है उस पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाना आवश्यक है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण ने इस आशय का वाद पेश किया गया। अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 6 के मध्य सीमा पर वर्षों पुरानी माठ कायम है तथा अपीलांटगण द्वारा उतरदाता संख्या 01 से 06 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है तथा वक्त सेटलमेंट के कब्जे के अनुसार पिछले 60 वर्षों अपीलांटगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, परन्तु उतरदाता संख्या 01 ने जबरन अतिक्रमण करने का तथ्य सरासर झूठा व मनगढत है तथा विवादित भूमि अपीलांटगण के खेतों के साथ मौके पर एकल चक के रूप में अवस्थित है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 6 के मध्य सीमा पर वर्षों पुरानी माठ कायम है तथा अपीलांटगण द्वारा उतरदाता संख्या 01 से 06 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है तथा वक्त सेटलमेंट के कब्जे के अनुसार पिछले 60 वर्षों अपीलांटगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, परन्तु उतरदाता संख्या 01 ने जबरन अतिक्रमण करने का तथ्य सरासर झूठा व मनगढत है तथा विवादित भूमि अपीलांटगण के खेतों के साथ मौके पर एकल चक के रूप में अवस्थित है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के खिलाफ है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं ने मौके पर आये बिना ही उतरदातादागण के दबाव में रहते हुऐ अपने कार्यालय में बैठकर मौका रिपोर्ट उतरदातागण के कहे अनुसार तैयार की गई उक्त मौका रिपोर्ट पर विश्वास किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि प्रतिवादीगण ने अपने राजनैतिक प्रभाव एवं धनबल के आधार पर रेस्पोडेंट/वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 572/389 में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि में से रकबा 08.05 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है जो रकबा 08.05 बीघा जमीन न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है एवं न ही कब्जा काश्त की है। प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय है। अरसा 10–15 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 से 06 ने हल्का पटवारी के साथ मौके पर आकर अपीलांटगण को कब्जा खाली करने की धमकीयां दी जाने लगी तथा हल्का पटवारी ने बताया कि कोर्ट से आपके विरूद्ध निर्णय होकर आपको बेंदखल करने का आदेश दिया गया है इसलिये आप अपनी भूमि खाली करों। आलोच्य निर्णय की नकले दिनांक 15.12.2017 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 15.12.2017 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली के आलोक में स्पष्ट है कि अपीलांट पक्ष को पर्याप्त मौका दिया। कोस्ट पर स्पष्ट जबाव का अवसर दिया फिर भी जबाव प्रस्तुत नहीं हुआ लिहाजा निर्णय एकतरफा नहीं ठहरया जा सकता।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय में वादीगण/रेस्पोडेंट के खातेदारी भूमि मौजा खारी के खेत खसरा संख्या 572/389 रकबा 90.11 बीघा में रकबा 08.05 बीघा जमीन पर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा कब्जा किया जाना प्रतिवेदित किया गया; जिसमें अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेंटगण को सुपुर्द करने का आदेश पारित किया गया। वाद में साक्ष्य स्वरूप वादी संख्या 07 द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के पैरा संख्या 02 में उल्लेखित किया है कि प्रतिवादीगण हमारे खेत में जबरन कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं। मौका फर्द दिनांक 22.11.2015 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि "खसरा संख्या 388, 572/389 के सीमा ज्ञान करने पर पता चला कि खसरा संख्या 572/389 के उत्तर की सेढे की तरफ के भाग में 08.05 बीघा रकबे पर खसरा संख्या 398 के खातेदारान चुना/दुर्गा, चनणी पत्नी मगा, चौखा/दुर्गा, पूनमा/हिरकन कौम सुथार का कब्जा है। अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम खारी के खाता संख्या 32 खसरा संख्या 398 के रिकॉर्डेड खातेदार देवा, तुलछा, हरू,रामचंद्र,दूदा पिता पेमा, करना वल्द खेता, राजू वल्द नैना हिस्सा 4/5 बाबू वल्द ताजू हिस्सा 1/5 कौम भांभी है। मौका रिपोर्ट में उल्लेखित एवं तथाकथित अतिक्रमी चूना/दुर्गा,चनणी पत्नी मगा, चौखा/दुर्गा,पूनमा/हिरकन जाति सुथार खारी गांव की जमाबंदी खाता संख्या 22 खसरा संख्या 393 व 394 के रिकॉर्डेड खातेदार है।" अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट पक्ष को अतिक्रमी घोषित कर उनकी बेदखली के आदेश पारित किये गये है वे रेस्पोडेंट/वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद, मौका रिपोर्ट तथा अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्डे के आधार पर किसी भी रूप में अतिक्रमी नहीं है। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड इसकी पुष्टि नहीं करता है। लिहाजा अपीलांट संख्या 01 से 06 के संबंध में अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2016 बअनवान सवाईराम वगैरा बनाम चोखाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07.2017 को अपीलांट संख्या 01 से 06 के संबंध में निरस्त किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner